



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।  
वन भवन कचहरी रोड, गढ़वा।  
E-mail id :- dfo-garhwanorth@gov.in  
Phone :- 06561-222237



पत्रांक :- 496

गढ़वा/दिनांक :- 3-3-2022

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

विषय :-

गढ़वा जिला अंतर्गत "Improvement of Curves and Safety Traffic Claming Measures at Annraj Ghati" के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०-FP/JH/ROAD/123042/2021 के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-142 दिनांक-17.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा FC Act, 1980 के तहत समर्पित प्रस्ताव FP/JH/ROAD/123042/2021 (Improvement of Curves and Safety Traffic Claming Measures at Annraj Ghati. In Garhwa District, State of Jharkhand) के तहत कुल-0.1404 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर इंगित त्रुटियों का कंडिकावार प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

क्रम सं०	प्रश्न	अनुपालन प्रतिवेदन
1.	चूँकि category of the project Road है। अतः FRA प्रमाण पत्र form I (for linear project) में होनी चाहिए परन्तु प्रमाण पत्र form II (for other than linear project) में समर्पित की गई है।	वन (संरक्षण) नियमावली, 2013 के नियम 6(3)(e) के अनुरूप Linear project के लिए संबंधित उपायुक्त से निम्न बिन्दुओं पर Certificate की आवश्यकता है :- (a) the complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment ..... To attachment .....; (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

		(c) the proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) नियमावली, 2013 के नियम 6(3)(e) के अधीन उपायुक्त, गढ़वा द्वारा निर्गत No Objection Certificate में उक्त बातों का उल्लेख है। अतः प्रस्ताव को वर्तमान में सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण को Stage-I के Compliance के समय form-I में No Objection Certificate समर्पित करने हेतु निदेशित किया जायेगा।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि का DGPS, map संलग्न है। परन्तु GEO Reference Digital Plan in Shape File (CD) संलग्न नहीं है।	Form-A के Part-I में कंडिका C (iv) में Geo-referenced Map संलग्न है। चूँकि Map online upload है, इसलिए CD में अलग से समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3.	प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा क्रमशः निर्धारित प्रपत्र फार्म-ए पार्ट-II/पार्ट में प्रविष्टि दर्ज करते हुए Website पर अपलोड नहीं किया गया है।	Form-A के Part-II में सभी आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्टि कर Website पर already अपलोड है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक :- 496

गढ़वा/दिनांक :- 3-3-2022

**E-mail**

प्रतिलिपि :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक-142 दिनांक-17.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।